

न्यायालय: द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)  
(समक्ष: मोहम्मद अज़हर)

नियमित व्यवहार अपील क्र.-07/17

प्रस्तुति/संस्थित दिनांक 07.03.2017

जसवन्त पुत्र मतैया आयु 58 वर्ष जाति कोरी  
निवासी ग्राम चक बरथरा परगना गोहद जिला  
भिण्ड म0प्र0 .....अपीलार्थी/वादी

विरुद्ध

1. रामदीन आयु 72 वर्ष पुत्र मवासी,
2. महेश पुत्र रूपराम आयु 42 वर्ष जाति कोरी  
निवासी ग्राम चक बरथरा तहसील गोहद जिला भिण्ड  
म0प्र0
3. म0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर भिण्ड म0प्र0

.....प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण

.....  
न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गोहद जिला भिण्ड (श्री पंकज शर्मा)  
के मूल व्यवहार वाद क्रमांक 130ए/15 में घोषित निर्णय दिनांक 25.02.2017 से  
उद्भूत यह नियमित सिविल अपील।

.....  
अपीलार्थी द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता।  
प्रत्यर्थी क्रं. 01 व 02 द्वारा श्री के.के. शुक्ला अधिवक्ता।  
प्रत्यर्थी क्रमांक 03 अनु0, पूर्व से एकपक्षीय।  
.....

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 12.02.2018 को घोषित)

1. अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह अपील न्यायालय  
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गोहद जिला भिण्ड (श्री पंकज शर्मा) के मूल  
व्यवहार वाद क्रमांक 130ए/15 उनवान जसवन्त सिंह बनाम रामदीन एवं अन्य में द  
घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.02.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है,  
जिसके अनुसार अपीलार्थी/वादी द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 1205 रकवा 0.420 हेक्टे0

स्थित ग्राम बरथरा, परगना गोहद के संबंध में प्रस्तुत स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद निरस्त कर दिया है।

2. अपीलार्थी/वादी के विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह अभिवचन रहे हैं कि भूमि सर्वे क्रमांक 1205 रकबा 0.42 हेक्टे0 स्थित ग्राम बरथरा परगना गोहद के वादी के पिता मौरुसी कृषक होकर आधिपत्यधारी थे। उक्त भूमि का पूर्व में सर्वे क्रमांक 393 रकबा 0.449 हेक्टे0 अर्थात दो बीघा तीन बिस्वा था। उक्त भूमि को आगे के पदों में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जाएगा। विवादित भूमि को वादी के पिता ने तत्कालिक जमींदार से जमींदारी काल में मौरुसी कृषक की हैसियत से प्राप्त की थी। जब तक वादी के पिता मतैया जीवित रहे तब तक बहैसियत मौरुसी कृषक की हैसियत से काबिज होकर खेती करते रहे। जमींदारी समाप्ति के पश्चात वादी के पिता को मौरुसी कृषक होने की वजह से विधि के प्रभाव से भूमि स्वामी स्वत्व उद्भूत हो गए। लेकिन राजस्व अभिलेख में उनका नाम मौरुसी कृषक के रूप में अंकित था। वादी के पिता मतैया की मृत्यु हो गई है इसलिए वादी उक्त भूमि का मौरुसी कृषक होकर आधिपत्यधारी है। प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि पर कभी भी किसी भी हैसियत से खेती नहीं की और न ही उसका कोई कब्जा व बर्ताव रहा है। प्रतिवादीगण ने कभी भी आज तक पुर्नग्रहण की कार्यवाही नहीं की है। तहसीलदार गोहद के समक्ष प्रस्तुत आवेदन का निराकरण करते हुए दिनांक 17.06.2005 को वादी को भूमि स्वामी घोषित किया गया। तहसीलदार के द्वारा राजस्व अभिलेख में मौरुसी कृषक के स्वत्व का न मानते हुए "मौरुसी कृषक" को हटाने का आदेश किया, जिसके विरुद्ध अपील करने पर अपील निरस्त हो गई। दिनांक 01.11.15 को प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया तथा झगडा करने लगे। तहसीलदार को मौरुसी कृषक की प्रविष्टि को निरस्त करने का अधिकार नहीं है। उक्त आधारों पर विवादित भूमि के स्वामी व आधिपत्यधारी घोषित किए जाने तथा स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता की प्रार्थना की गई।
3. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 03 म0प्र0 शासन को औपचारिक पक्षकार बनाया गया, उसकी ओर से कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 की ओर से प्रतिवादपत्र प्रस्तुत करते हुए वादी के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्ख्यान किया गया और यह

अभिवचन किया गया कि वादी ने मौरूसी कृषक के रूप में गलत रूप से इंद्राज करा लिया है वादी के द्वारा विवादित भूमि पर कभी खेती नहीं की गई है और न ही उसका आधिपत्य रहा है। विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 की निजी पुश्तैनी भूमि है। वादी के पिता को कभी भी भूमि स्वामी के अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। राजस्व अधिकारियों के साठ गांठ कर दिनांक 17.06.2005 को वादी ने भूमि स्वामी द गोषित करवा लिया है। जिसकी अपील करने पर प्रकरण क्रमांक 61/2005-06 अपील माल में पारित आदेश दिनांक 16.01.2006 के अनुसार उक्त आदेश दिनांक 17.06.2005 निरस्त कर दिया गया है। जिसकी अपील वादी के द्वारा पेश करने पर प्रकरण क्रमांक 24./2014-15 अपील माल में दिनांक 28.10.2015 को अपील निरस्त की जा चुकी है। दिनांक 01.11.15 को कोई घटना नहीं हुई है, कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है। वाद का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है और पर्याप्त न्यायशुल्क अदा नहीं किया गया है। वाद निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

5. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रलेखों के आधार पर निम्नलिखित वाद प्रश्न निर्मित किये जाकर उनके निष्कर्ष निम्नानुसार उनके समक्ष अंकित किये गये:-

वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1. क्या वादी वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 1205 क्षेत्रफल 0.42 हेक्टे0 स्थित ग्राम बरथरा, परगना-गोहद का स्वामी एवं आधिपत्यधारी है ?	“अप्रमाणित”
2. क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा वादग्रस्त भूमि में निहित वादी के अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है ?	“अप्रमाणित”
3. क्या वादी द्वारा वाद का समुचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है ?	“प्रमाणित”
4. अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय	वाद निर्णय के पद क्रं0 20 के अनुसार प्रमाणित नहीं पाये जाने से निरस्त किया गया।

6. अपीलार्थी/वादी की ओर से अपील एवं अंतिम तर्क में यह आधार लिए गए हैं कि विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादप्रश्न अभिवचनों के अनुसार नहीं

बनाए गए तथा वादप्रश्न प्रस्तावित करने के आवेदन को निरस्त कर दिया। अपीलार्थी को भू-राजस्व संहिता प्रभावशील होने पर भूमि स्वामी स्वत्व प्राप्त हो गए थे। प्रतिवादी के द्वारा पुनर्गृहण की कार्यवाही भी नहीं की गई उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख के विपरीत मनमाने तौर से गलत निष्कर्ष निकाल कर दावा निरस्त कर दिया। अपीलार्थी के इंद्राज को निरस्त करने का अधिकार राजस्व अधिकारियों को नहीं है। प्रस्तुत किए गए राजस्व अभिलेख, दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के अनुसार अपीलार्थी के पिता का नाम मौरुसी कृषक के रूप में दर्ज होना प्रमाणित हैं। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इन तथ्यों पर कोई विचार नहीं किया है और मनमाने तौर से आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.02.17 विधि विधान के विपरीत होने से काबिले निरस्ती है। उक्त आधारों पर अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.02.17 को अपास्त करते हुए विवादित भूमि का भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी घोषित करने तथा स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता की प्रार्थना की गई है।

7. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 की ओर से मौखिक रूप से तर्क करते हुए व्यक्त किया गया है कि वादी विवादित भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी नहीं है उसे भूमि स्वामी स्वत्व के अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। राजस्व अभिलेख में उसने गलत इंद्राज करा लिया था। वादी का आवेदन तहसीलदार के द्वारा निरस्त किया जाकर कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उचित रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। अपील निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

8. इस अपील के विधिवत् निराकरण हेतु निम्न लिखित बिन्दु विचारणीय है:-

1. क्या वादी के पिता मतैया को विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 1205 रकवा 0.420 हेक्टे0 पुराना क्रमांक सर्वे क्रमांक 393 स्थित ग्राम बरथरा परगना गोहद के संबंध में मौरुसी कृषक होने के नाते भूमि स्वामी स्वत्व उत्पन्न हो चुके थे, जिसके आधार पर पूर्व में मतैया एवं उसके पश्चात वादी विवादित भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी है ?



2. क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 के द्वारा विवादित भूमि में अवैध रूप से हस्तक्षेप करने एवं कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है ?
3. क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.02.2017 स्थिर रखे जाने योग्य है या निर्णय/डिक्री में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार है ?

**—:सकारण निष्कर्ष:—**

**विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 :-**

9. अपीलार्थी की ओर से यह आपत्ति ली गयी है कि उनके द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन अंतर्गत आदेश 14 नियम 5 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत करते हुये अतिरिक्त वादप्रश्न निर्मित किये जाने की प्रार्थना की गयी। उक्त आवेदन को विचारण न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया। विचारण न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा विवादित भूमि के संबंध में मौरुसी कृषक होने, विधि के प्रभाव से भूमिस्वामी स्वत्व उत्पन्न होने, वादी के पिता मतैया का मौरुसी कृषक के रूप में इन्द्राज होने, प्रतिवादीगण के द्वारा आज तक पुनर्गृहण की कार्यवाही नहीं करने का प्रभाव, मौरुसी कृषक के इन्द्राज को निरस्त करने का अधिकार तहसीलदार को होने के संबंध में अतिरिक्त वादप्रश्न बनाये जाने की प्रार्थना की गयी थी। उक्त आवेदन दि0 09.02.17 को निरस्त कर दिया गया था। अपीलार्थी की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष जिन बिन्दुओं पर अतिरिक्त वादप्रश्न निर्मित किये जाने की प्रार्थना की गयी थी वे विषय वादप्रश्न क्रमांक 1 में समाहित है, जिनके संबंध में निर्णय में विवेचना कर दी गयी है अतः ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दि0 09.02.17 के द्वारा अपीलार्थी के उक्त आवेदन को निरस्त कर कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है।
10. अपीलार्थी/वादी की ओर से अपने अभिवचनों में पैरा-2 में तात्कालिक जमींदार से विवादित भूमि वादी के पिता मतैया के द्वारा मौरुसी कृषक की हैसियत से प्राप्त करना बताया है। वहीं पैरा-3 में यह अभिवचन किया है कि प्रतिवादीगण ने आज तक कभी भी पुनर्गृहण की कार्यवाही नहीं की है इस प्रकार अपीलार्थी/वादी के यह दोनों अभिवचन आपस में विरोधाभासी है। एक ओर वादी जमींदार का मौरुसी कृषक होना बताता है वहीं पैरा-3 में प्रतिवादीगण को भूमिस्वामी मानता है।

विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आलोच्य निर्णय के पैरा-10 में यह मान्य किया गया है कि वादी के द्वारा यह दर्शित नहीं किया गया है कि विवादित भूमि उसके या उसके पिता मतैया द्वारा भूमिस्वामी लालाराम से पट्टे पर ली गयी हो या किसी अन्य प्रकार से आधिपत्य में प्राप्त की गयी हो, वादी या उसके पिता के द्वारा उक्त भूमिस्वामी लालाराम को कोई लगान अदा किया गया हो।

11. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राजस्व अभिलेख के अनुसार प्रतिवादी क्रं0 01 के पिता एवं प्रतिवादी क्रं0 02 के पितामह मवासी का नाम पुख्ता मौरूसी कृषक के रूप में अंकित है जब कि वादी के पिता मतैया का नाम उपकृषक के रूप में अंकित है। राजस्व अभिलेख के आधार पर प्रतिवादीगण का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज होना मान्य किया है और मतैया का नाम उपकृषक के रूप में होना मान्य किया है। आलोच्य निर्णय के पैरा-14 में म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के प्रवृत्त होने पर प्रतिवादी क्रं0 01 के पिता एवं प्रतिवादी क्रं0 02 के पितामह मवासी को मौरूसी कृषक माने जाने तथा मवासी को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये जाने के तथ्य को सही माना है तथा पैरा-15 में मतैया को भूमिस्वामी स्वत्व अर्जित नहीं होना मान्य किया है। उक्त आधार पर वादप्रश्न क्रं0 01 को अप्रमाणित माना गया है।

12. वादी जसवन्त सिंह वा0सा0-01 ने अपने अभिवचनों के अभिरूप साक्ष्य का मुख्यपरीक्षण का शपथपत्र पेश किया है, उसकी ओर से प्र0पी0 01 लगायत प्र0पी0 15 के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गयी हैं, जो राजस्व न्यायालय के आदेश एवं खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपियां एवं आवेदन आदि हैं। वादी के साक्षी बदन सिंह वा0सा0-02 ने वादी के पिता मतैया को मौरूसी कृषक की हैसियत से विवादित भूमि पर खेती करना तथा वर्तमान तक वादी के द्वारा खेती करना और कब्जा होना बताया है। वहीं प्रतिवादी रामदीन प्र0सा0 01 ने वादी के द्वारा गलत रूप से मौरूसी कृषक का इन्द्राज कराना बताते हुये भूमि को निजी स्वामित्व व आधिपत्य की पुष्टि भूमि होना बताया है और उस पर पूर्वजों द्वारा खेती करना और उसके बाद स्वयं खेती करना बताया है। प्रतिवादी के साक्षी कैलाश प्र0सा0-02 व हाकिम सिंह प्र0सा0-03 ने विवादित भूमि का भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी प्रतिवादीगण रामदीन आदि को होना बताया है। प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज प्रमाणित नहीं कराए गए हैं।

13. प्रस्तुत किये गये राजस्व अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि प्र०पी०-03, प्र०पी०-04, प्र०पी०-05, प्र०पी०-06, प्र०पी०-08 लगायत प्र०पी०-14 के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि में संवत् 2007 में भूमि सर्वे क्रमांक 393 टेडा रकवा दो बीघा तीन बिस्वा में कश्तकार लालाराम लिखा हुआ है, जो कि सर्वे क्रमांक 223 के अनुसार लिखा है। यद्यपि सर्वे क्रमांक 223 के खसरे की कोई प्रति वादी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। संवत् 2008 में भी कॉलम नंबर 03 में काश्तकार का नाम लालाराम लिखा हुआ है। संवत् 2009 में कॉलम नंबर 03 में मध्य भारत शासन लिखकर बशरह सदर लिखा हुआ है अर्थात् पूर्व की स्थिति ही है। तीनों ही खसरे में कॉलम नंबर 05 में मवासिया का नाम बल्द पंछी का नाम पुख्ता कृषक, पक्का कृषक के रूप में दर्ज है। परंतु वादी के पिता मतैया का नाम कॉलम नंबर 07 में उपकृषक के रूप में मुद्दत क्रमशः दो साल, तीन साल एवं चार साल के लिए दर्ज है।
14. संवत् 2007 की स्थिति देखें तो यह वर्ष लगभग 1950 होता है। सन् 1950 की स्थिति में उक्त भूमि लालाराम के नाम दर्ज थी। जिसका पक्का कृषक अर्थात् मौरुसी कृषक मवासिया था और उपकृषक के रूप में मतैया का नाम दर्ज था। यही स्थिति 1951 एवं 1952 की होती है। प्र०पी०-06 के खसरे के अनुसार संवत् 2010 अर्थात् वर्ष 1953 से संवत् 2014 अर्थात् वर्ष 1957 के पांचसाला खसरे में कॉलम नंबर 04 में पक्के कृषक के रूप में मवासिया का नाम दर्ज है। कॉलम नंबर 05 में बसरा सदर लिखा है और मुद्दत पांच साल लिखी है जिसका अर्थ यही होता है कि कॉलम नंबर 05 में पूर्व की भांति मतैया का नाम ही उपकृषक के रूप में दर्ज है। संवत् 2015 से 2019 के खसरे का रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं है अर्थात् सन् के हिसाब से 1958 से 1962 के पांचसाला खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं है, जो कि उपलब्ध न होने के आधार पर प्रस्तुत न करना बताया गया है। उसके बाद के खसरे संवत् 2020 से 2024 अर्थात् 1963 से 1967 के प्र०पी०-08 के अनुसार विवादित भूमि पर मवासिया का नाम बशरह नंबर 173 के अनुसार भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है। मतैया का नाम पट्टाधारी या मौरुसी कृषक के उप पट्टाधारी के रूप में दर्ज है। इस प्रकार मतैया का नाम उपकृषक के रूप में ही है।
15. म०प्र०भू०रा०स० 1959 दिनांक 02.10.1959 से प्रवृत्त हुआ है। इस दिनांक के वर्ष अर्थात् 1959 के ठीक पूर्व अथवा पश्चात के खसरे की कोई प्रमाणित प्रतिलिपि

वादी की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है और उपलब्ध न होने का आधार बताया है। परंतु जहां कि इससे पूर्व के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की है, वहीं उससे लगातार वर्षों की भी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर प्रस्तुत की जा सकती थी। यदि खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान नहीं की जा रही थी, तब न्यायालय के माध्यम से तलब कराई जा सकती थी। जिसका प्रतिकूल आशय वादी के विरुद्ध ही निकाला जाएगा। वादी विवादित भूमि के संबंध में अपना वाद लाया है। उसे ही अपना वाद प्रमाणित करना है। उसके द्वारा ही उस समय बिन्दु के कोई भी खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही रिकॉर्ड तलब कराया गया है। प्र०पी०-०८ की प्रमाणित प्रतिलिपि सन् १९६३ की है, जिसमें भूमि स्वामी के रूप में मवासिया का नाम दर्ज है। अतः म०प्र०भू०रा०सं० की धारा-११७ के अनुसार उस खसरा प्रविष्टि की सही होने की उपधारणा की जाएगी। इसके विरुद्ध अन्य कोई राजस्व अभिलेख प्रमाणित नहीं है कि जिससे प्र०पी०-०८ का खण्डन होता हो।

16. इसके बाद की प्रमाणित प्रतिलिपियों प्र०पी०-०९ लगायत प्र०पी०-१४ में लगातार मवासिया का नाम कॉलम नंबर ०३ में भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज है। परंतु इसके साथ साथ उसके नाम के नीचे मतैया पुत्र सूखा का नाम भी लिख दिया गया है। प्रथम बार यह नाम प्र०पी०-०९ के खसरे अर्थात् संवत् २०२६ लगायत २०३० अर्थात् सन् १९६९ लगायत १९७४ में प्रथम बार कॉलम नंबर ०३ में मवासिया के नाम के नीचे मतैया का नाम उपकृषक के रूप में लिख दिया गया है। जो कि विशुद्ध रूप से पटवारी के द्वारा अपनी मर्जी से लिख दिया गया है, जिसके संबंध में किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा मतैया का नाम कॉलम नंबर ०३ में दर्ज करने का आदेश दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। अपनी मर्जी से लिखना इसलिए भी कहा गया है क्योंकि सारे इद्राज एक ही पेन से गहरे रंग की स्याही से किए गए हैं, जबकि मतैया वाला इद्राज हल्की स्याही से अलग पेन से किया गया है। यह इसलिए किया गया है कि मतैया को अनाधिकृत लाभ पहुंचाया जा सके। मतैया के इद्राज के आगे मुद्दत १२ साल भी लिख दिया है और उसके बाद की वर्षों में भी मुद्दत १२ साल लिखा चला आ रहा है। जबकि आगे के वर्षों में जितने वर्ष गुजरते गए, उतने वर्षों को और जोड़ कर लिखा जाता परंतु ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि १२ वर्ष को विरोधी आधिपत्य का बिन्दु मस्तिष्क में रखते हुए लिखा गया है या लिखवाया गया है। परंतु यहां विरोधी आधिपत्य का कोई सिद्धांत



लागू नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्र०पी०-०२ के न्यायालय तहसीलदार वृत्त गोहद के द्वारा प्रकरण क्रमांक ०२/२००४-०५-अ-४६ में पारित आदेश दिनांक १७.११.१४ में यह निष्कर्ष उचित रूप से दिया गया है कि जसवंत सिंह का कब्जा किस सक्षम अधिकारी के द्वारा लिखा गया, ऐसा ज्ञात नहीं हो रहा है। मतैया के द्वारा कोई लगान आदि भी अदा नहीं किया गया है। कोई प्रतिफल भी नहीं दिया गया है।

१७. यह स्थिति वर्ष १९६९ की थी, जबकि १९५९ में म०प्र०भू०रा०सं० लागू हो चुकी थी। यदि भूमि स्वामी स्वत्व के अधिकार म०प्र०भू०रा०सं० की धारा-१९० के तहत प्राप्त होते तो पहिले ही मतैया का नाम सक्षम अधिकारी के आदेश से भूमि स्वामी के रूप में लिखा जाता, परंतु चूंकि मतैया मौरूसी कृषक के रूप में नहीं था, अपितु उपकृषक के रूप में था, इस कारण ही उसके नाम का इंड्राज १९५९ के बाद १९६० या १९६१ में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज नहीं हुआ क्योंकि म०प्र०भू०रा०सं० के अनुसार भूमिस्वामी स्वत्व मौरूसी कृषक को प्राप्त होते हैं, उपकृषक को नहीं।

१८. प्र०पी०-१० में अर्थात् संवत् २०३१ अर्थात् सन् १९७४ में भूमि स्वामी के रूप में मवासिया के स्थान पर रामदीन आदि का नाम दर्ज हो गया है। अर्थात् इस दौरान मवासिया की मृत्यु होने पर उसके वारिसान प्रतिवादी क्रमांक ०१ व ०२ का नाम दर्ज हुआ है। उसमें भी उनके नीचे मतैया का नाम लिखा हुआ चला आ रहा है। प्र०पी०-१० के खसरे में मतैया के नाम के आगे मौरूसी कृषक नहीं लिखा है। परंतु प्र०पी०-११ में मतैया के नाम के आगे मौरूसी कृषक लिख दिया गया है। जो कि खसरा प्र०पी०-१३ में कॉलम नंबर ०४ में मतैया का नाम मौरूसी कृषक के रूप में लिखा गया है, जो कि संवत् २०५१ लगायत २०५५ अर्थात् सन् १९९४ लगायत १९९८ का है। प्र०पी०-१४ के खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि संवत् २०५६ लगायत संवत् २०६० अर्थात् सन् १९९९ लगायत सन् २००३ में विवादित भूमि के परिवर्तित नंबर १२०५ में वापिस कॉलम नंबर ०३ में मतैया का नाम मौरूसी कृषक के रूप में लिखा गया है।

१९. इस प्रकार प्रकट है कि सन् १९६३ से १९६७ में मतैया का नाम उपकृषक के रूप में था। प्रथम बार उसका नाम कॉलम नंबर ०३ में मौरूसी कृषक के रूप में सन् १९६९ लगायत १९७४ में लिखा गया है। सन् १९६९ में म०प्र०भू०रा०सं० लागू हो चुकी थी इस कारण अनाधिकृत रूप से भी मौरूसी कृषक के रूप में सन् १९६९ में इंड्राज कर दिए जाने से भी म०प्र०भू०रा०सं० के तहत मतैया को भूमि स्वामी स्वत्व के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि ये अधिकार प्राप्त करने के लिए उसका नाम

संहिता प्रवृत्त होने के पूर्व से ही मौरूसी कृषक के रूप में दर्ज होना चाहिए था, जो उपरोक्तानुसार कभी दर्ज नहीं रहा। इस कारण धारा-189 एवं 190 म0प्र0भू0रा0सं0 के प्रावधान के अनुसार मतैया को कोई स्वत्व उत्पन्न नहीं होते हैं।

20. अपीलार्थी/वादी की ओर से न्याय दृ0 हरिबिलास बनाम जण्डेल सिंह एवं अन्य 1987 राजस्व निर्णय 167 प्रस्तुत किया गया है। जिसमें माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय की एकल पीठ के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि म0प्र0भू0रा0सं0 1959 की धारा-185(1)(दो)(घ), 189(1) तथा 190 के अनुसार भूमि पुनर्गृहण की कोई कार्यवाही नहीं की तब उपकृषक को मौरूसी कश्तकार की स्थिति प्राप्त हो जाती है एवं वह भूमि स्वामी हो जाता है। अपीलार्थी/वादी की ओर से एक ओर यह आधार लिया गया है कि जमींदार से जमींदारी काल में मौरूसी कृषक की हैसियत से विवादित भूमि प्राप्त की थी। परंतु इस आधार को प्रमाणित नहीं किया गया है।

21. वादी के पिता मतैया का नाम मौरूसी कृषक के रूप में दर्ज न होकर उपकृषक या भूमि स्वामी के पट्टाधारी या मौरूसी कृषक के उप पट्टाधारी के रूप में दर्ज है। इस प्रकार मौरूसी कृषक न होने से म0प्र0भू0रा0सं0 की धारा-189 और 190 लागू ही नहीं होती है। इसके लिए म0प्र0भू0रा0सं0 की धारा-185(1)(दो)(ग)(घ) तथा धारा-185(2) महत्वपूर्ण है। जिसमें धारा-185(1)(दो)(ग)(घ) के अनुसार मध्य भारत जागीर समाप्ति विधान 1951 में यथा परिभाषित जागीर भूमि उपकृषक के रूप में या उपकृषक के कृषक के रूप में तथा मध्य भारत जमींदारी समाप्ति विधान 1951 में यथा परिभाषित स्वामी की कोई भूमि उपकृषक के रूप में या उपकृषक के कृषक के रूप में धारण करने वाले को मौरूसी कृषक कहा गया है तथा धारा-185(2) के अनुसार म0प्र0भू0रा0सं0 1959 के प्रवृत्त होने के समय किसी उपकृषक के वास्तविक कब्जे में भूमि है, तब ऐसे कृषक को ही ऐसी भूमि का मौरूसी कृषक समझा जाएगा, न कि उसके उपकृषक को मौरूसी कृषक समझा जाएगा। इस प्रकार उपकृषक के रूप में मतैया को कोई स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। संहिता के प्रवृत्त होने के समय मतैया मौरूसी कृषक के रूप में स्थापित नहीं हुआ है। अतः उक्त न्याय दृ0 प्रकरण की इन परिस्थितियों में लागू नहीं होता है।

22. दूसरी ओर अपीलार्थी/वादी की ओर से यह आधार लिया गया है कि प्रतिवादीगण ने आज तक कभी भी पुनर्गृहण की कार्यवाही नहीं की है तथा वादी उक्त भूमि पर काबिज है। इस प्रकार इस आधार के अनुसार वादी प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण को ही भूमि स्वामी मान रहा है। इसी कारण प्रतिवादीगण के द्वारा पुनर्गृहण की कार्यवाही न करने की बात करता है। उपरोक्त प्रस्तुत किए गए राजस्व अभिलेख के अनुसार वादी का पिता मतैया मौरूसी कृषक होना स्थापित नहीं हुआ है। अपितु वह मवासिया का उपकृषक होना प्रमाणित हुआ है। मवासिया स्वयं ही मौरूसी कृषक के रूप में थे। विधि का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि संहिता के प्रवृत्त होने के समय उपकृषक को मौरूसी कृषक से स्वत्व के अधिकार प्राप्त हो जावें। चूंकि मवासिया स्वयं ही मौरूसी कृषक था इस कारण उसे मतैया से पुनर्गृहण की कार्यवाही की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। यदि 1969 में मतैया को प्रथम बार मौरूसी कृषक के रूप में दर्ज होना भी मान लिया जाए तब भी उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है क्योंकि मौरूसी कृषक को धारा-189 और 190 म0प्र0प्र0भू0रा0सं0 के अनुसार भूमि स्वामी स्वत्व प्राप्त होने की उपधारणा इस संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व से मौरूसी कृषक के रूप में नाम दर्ज होने पर है अन्यथा नहीं। सन् 1969 ने अनाधिकृत रूप से मौरूसी कृषक के रूप में नाम दर्ज करा लेने से कोई स्वत्व उत्पन्न नहीं होते हैं।
23. इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रकट और प्रमाणित नहीं हुआ है कि मतैया को या उसके पश्चात अपीलार्थी/वादी जसवन्त सिंह को विधि के प्रभाव से विवादित भूमि में स्वामी स्वत्व उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार अपीलार्थी/वादी का विधि का बल प्राप्त नहीं होना प्रकट है। अतः ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आलोच्य निर्णय के पैरा-14 एवं 15 में यह निष्कर्ष देने में कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है कि वादी के पिता मतैया को विवादित भूमि में कोई स्वत्व अर्जित नहीं हुए थे तथा इस आधार पर वादी को भी विवादित भूमि में कोई स्वत्व अर्जित नहीं हुए हैं। इस प्रकार विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादप्रश्न क्रमांक 01 को अप्रमाणित मानने का निष्कर्ष देकर कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है।

**विचारणीय बिन्दु क्रमांक 02:-**

24. उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि वादी के पिता मतैया को या उसके पश्चात वादी को विवादित भूमि में कोई स्वत्व उत्पन्न नहीं हुए थे। अतः ऐसी स्थिति में यह भी मप्रकट और प्रमाणित नहीं होता है कि प्रतिवादीगण के द्वारा विवादित भूमि में अवैध रूप से हस्तक्षेप करने एवं कब्जा करने का कोई प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादप्रश्न क्रमांक 02 अप्राणित मानने का निष्कर्ष देकर कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है।

**विचारणीय बिन्दु क्रमांक-03:-**

25. इस प्रकार अपीलार्थी/वादी के द्वारा जो आधार लिए गए हैं वह परस्पर विरोधी आधार हैं। वह आधार अभिलेख पर आई साक्ष्य के अनुसार प्रमाणित नहीं होते हैं। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसके पिता मतैया या उसे विवादित भूमि में विधि के प्रभाव से स्वत्व उत्पन्न हो गए हैं तथा प्रतिवादीगण क्रमांक 01 व 02 के द्वारा विवादित भूमि में वादी के अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है।
26. अतः ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी को विवादित भूमि का स्वामी व आधिपत्यधारी न होना प्रमाणित मानते हुए तथा प्रतिवादीगण क्रमांक 01 व 02 के द्वारा विवादित भूमि में वादी के अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जाना प्रमाणित नहीं मानते हुए तथ यह मानते हुए कि वादी अपने वाद को प्रमाणित करने में असफल रहा है, उक्त निष्कर्ष देकर कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है। इस प्रकार उक्त आलोच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.02.2017 किसी वैधानिक त्रुटि से ग्रसित होना प्रकट नहीं होता है।
27. इस कारण विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.02.2017 में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं है। इस प्रकार विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण का विधिवत् अवलोकन कर साक्ष्य का उचित मूल्यांकन एवं विश्लेषण करते हुए वादप्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 पर जो निष्कर्ष दिया है, वह त्रुटिपूर्ण हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित आलोच्य निर्णय के द्वारा अपीलार्थी/वादी के स्वत्व घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा के वाद को निरस्त करने की जो आज्ञा दी गई है, वह हस्तक्षेप करने योग्य नहीं है।



28. तदनुसार अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जाकर विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय/डिक्री दिनांक 25.02.2017 की पुष्टि की जाती है।

29. उभय पक्ष इस अपील का व्यय अपना-अपना वहन करेंगे। अधिवक्ता शुल्क 1,000/—रूपये लगाया जावे।

30. इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जावे।

तदनुसार डिक्री तैयार की जावे।

निर्णय न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(मोहम्मद अजहर)  
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

(मोहम्मद अजहर)  
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)